न्यायालय सैशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी – अश्वनी विज

जमानत प्रार्थन पत्र संख्या– 92/2021

अजय पुत्र कालूराम, उम्र 22 वर्ष, निवासी हिन्दूपुरा, पुलिस थाना बौंली, जिला सवाई माधोपुर।

प्रार्थी–अभियुक्त

विरूद्ध

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक, सवाई माधोपुर। अप्रार्थी

जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं.,
एफ.आई.आर.नंबर 58/2021, पुलिस थाना मलारना डूंगर,
जुर्म धारा 279, 336, 379 भा.द.सं. एवं धारा 4/21 एमएमडीआर एक्ट

———

उपस्थितः–

1. श्री हरीमोहन जाट, अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से।
2. लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

न्यायालय द्वारा दिनांकः 24.02.2021

आदेश

1. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. पेश हुआ जिसकी नकल विद्वान लोक अभियोजक को दिलाई गई।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 20.02.2021 को परिवादी राकेश कुमार उप निरीक्षक मय जाप्ता धर्मेन्द्र चौधरी, कानि. 319, शीशराम बाजिया, कानि.142, राजू यादव, कानि.140, चेतनराम कानि. 1486 के बहवाले रपट रोजनामचा आम गया हुआ मय अवैध बजरी के भरी हुई जप्त शुदा चार ट्रेक्टर ट्रोली व एक डिटेनशुदा चालक के वापस थाने पर आकर दर्ज करवाया कि आज 4.15 ए.एम. बजे पुलिस कंट्रोल रूम की सूचना पर रवाना होकर गश्त व चैकिंग अवैध बजरी वाहन करता हुआ 5.00 ए.एम. पर ग्राम भूखा से नदी की ओर जाने वाले रास्ते पर पहुंचा तो सामने से अवैध ओवरलोड बजरी के भरे हुए तीन ट्रेक्टर ट्रोलियों को उनके चालक बहुत तेज गति व उपेक्षा पूर्वक चलाते हुए आ रहे थे जिनके चालक पुलिस जीप व जाप्ता को देख कर ट्रेक्टर, ट्रोलियों को मौके पर छोड कर भाग गये। उनका पीछा किया परन्तु अंधेरे की वजह से पकड़ नहीं पाये। चालकों द्वारा मौके पर छोडे गये तीनों ट्रेक्टर ट्रोलियों को चैक किया तो उनमें अवैध ओवरलोड बजरी भरी हुइ थी। किसी भी ट्रेक्टर

क्रमशः

ट्रोली पर रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित नहीं था। रिपोर्ट में उक्त ट्रेक्टरों के चेचिस नम्बर व इंजन नम्बरों का उल्लेख करते हुए अंकित किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से वर्तमान में बजरी खनन, परिवहन व निर्गमन पर रोकथाम के आदेश के बावजूद अवैध बजरी का खनन, निर्गमन व परिवहन किया जा रहा है। उक्त ट्रेक्टर, ट्रोलियों को जप्त कर थाने लाया जा रहा था तब रास्ते में 7.00 ए.एम. बजे दिवाडा नहर के पास एक व्यक्ति अवैध बजरी से ओवर लोड भरा ट्रेक्टर ट्रोली बहुत तेज स्पीड से लापरवाही पूर्वक चलाकर ले जाता हुआ मिला जिसे रोक कर उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम अजय बताया। जिसके कब्जे के महिन्द्रा बी 275 डीआई इंजन व चंचिस नम्बर JFBM00263 ट्रेक्टर के लगी हुई ट्रोली में अवैध ओवर लोड बजरी भरी हुई थी। ट्रेक्टर ट्रोली पर रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित नहीं था। उक्त ट्रेक्टर ट्रोली को जब्त किया गया और अजय को हमरा लिया गया। ..इत्यादि।

3. उक्त रिपोर्ट पर थानाधिकारी पुलिस थाना मलारना डूंगर द्वारा प्रकरण संख्या 58/2021, अन्तर्गत धारा 279, 336, 379 भा.दं.सं. एवं धारा 4/21 एमएमडीआर एक्ट पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया। दौराने अनुसंधान प्रार्थी–अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाने पर प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 437 दण्ड प्रक्रिया संहिता न्यायिक मजिस्ट्रेट, बौंली के समक्ष पेश किया जो आदेश दिनांक 22.02.2021 द्वारा खारिज किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता पेश किया गया है।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त एवं विद्वान लोक अभियोजक को सुना गया।

5. बहस के दौरान प्रार्थी–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन रहा है कि प्रार्थी निर्दोष हैं। प्रार्थी को झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी से किसी प्रकार की बरामदगी शेष नहीं है। प्रार्थी ग्राम हिन्दूपुरा, तहत थाना बौंली का निवासी है जिसके फरार होने एवं उसके द्वारा गवाहान को डराने धमकाने की कोई सम्भावना नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। प्रार्थी दिनांक 19.02.2021 से अभिरक्षा में है। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ दिया जावे।

6. विद्वान लोक अभियोजक ने इसका विरोध करते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ नहीं दिया जाने की प्रार्थना की।

7. उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

8. केस डायरी के अवलोकन से प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279, 336, 379 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 4/21 एमएमडीआर एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप है। मामला प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अनुसंधान एवं अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना है। अतः इस प्रक्रम पर साक्ष्य का सूक्ष्म विवेचन किया जाना हितकर नहीं है लेकिन प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित समझता हूँ।

आदेश

9. अतः प्रार्थी–अभियुक्त अजय की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा इस प्रकरण के सम्बन्ध में विचारण न्यायालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु 50,000/– (पचास हजार) रूपये के मुचलके एवं 25,000–25,000/–(पच्चीस–पच्चीस हजार) रूपये की दो मोतबिर जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करवाने पर उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

सैशन न्यायाधीश,
सवाई माधोपुर

10. आदेश आज दिनांक 24.02.2021 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर उच्चारित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

सैशन न्यायाधीश,
सवाई माधोपुर